

सं. 3105/63/2011-बीसी.।।।

भारत सरकार
सूचना और प्रसारण मंत्रालय,
'ए' विंग, शास्त्री भवन,
नई दिल्ली-110001

दिनांक 8 अगस्त, 2012

निदेश

विषय: देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों और कानून का उल्लंघन करने वाले किशोरों की पहचान की सुरक्षा।

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) की स्थापना मार्च, 2007 में बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 के तहत की गई थी, जिसका उत्तरदायित्व यह सुनिश्चित करना था कि सभी कानून, नीतियां, कार्यक्रम और प्रशासनिक तंत्र, भारत के संविधान और बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन में निहित बाल अधिकार के परिप्रेक्ष्य के अनुरूप हो। इन प्रावधानों का उल्लंघन करने वाला कोई भी व्यक्ति उक्त अधिनियम की धारा 21 (2) के प्रावधानों के तहत निर्धारित दंड के लिए भी उत्तरदायी है।

2. इस विषय वस्तु पर, आयोग ने सिफारिश की है कि ऐसे बच्चों को, जिन्हें कठिन परिस्थितियों सहित कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण मीडिया द्वारा रिपोर्ट करने की आवश्यकता होती है, उनके नाम, फोटो, घर का पता, स्कूल का पता और उनकी पहचान के अन्य मापदंडों को प्रकाशित करने से बचने के लिए संपूर्ण प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को आवश्यक निर्देश/प्रोटोकॉल का सेट जारी किया जाना चाहिए। चूंकि इस तरह के खुलासे अपना प्रभाव छोड़ते हैं और विकास के महत्वपूर्ण चरण में बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं।

3. सभी समाचार और समसामयिक मामलों को टीवी चैनलों को केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 में निहित प्रावधानों का पालन करना आवश्यक है और इसके नियम 6(1)(8) में प्रावधान है कि केबल सेवा में कोई भी कार्यक्रम नहीं चलाया जाना चाहिए जो बच्चों को बदनाम करता हो। इस प्रकार, इस प्रावधान के आधार पर, चैनलों को पहले से ही बच्चों से जुड़े कार्यक्रमों को उचित देखभाल, परिपक्वता और संवेदनशीलता के साथ चलाने की आवश्यकता है।

4. तदनुसार, सभी समाचार और समसामयिक मामलों के टीवी चैनलों से यह अनुरोध किया जाता है कि वे बच्चों से जुड़ी किसी भी सामग्री का प्रसारण करते समय एनसीपीसीआर के उपरोक्त निर्देशों के साथ-साथ केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित

करें। किसी भी उल्लंघन के लिए केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995, उसके तहत प्रख्यापित नियमों और अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग दिशानिर्देशों के नियमों और शर्तों के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जा सकती है।

हस्ता./-

(नीति सरकार)
निदेशक (बीसी)

सेवा में,

सभी समाचार और समसामयिक मामलों के टीवी चैनल

प्रतिलिपि:-

1. श्री के.वी.एल. नारायणराव , अध्यक्ष, न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन एमई-5, शाह विकास अपार्टमेंट, 68, पटपड़गंज , दिल्ली-110092।
2. श्री उदय शंकर, अध्यक्ष, द इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन, बी-304, तीसरी मंजिल, अंसल प्लाजा, खेलगांव मार्ग, नई दिल्ली-110049।